- फॉरम सं0 562

आदेश–पत्रक प्रथम

कार्यालय अंचल अधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

आदेश –पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता0.. से ....तक

जिला......गिरिडीह...

केस का प्रकार– विविध वाद वाद सं0 ....05........सन् 2022-23..............

आदेश की क0 सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
31.12.22	श्रीमति स्वाती कुमारी, पति–नितेश रोशन, ग्राम–इसरी से प्राप्त आवेदन के आलोक में सरकारी भूमि का सीमांकन/चिन्हित अंचल अमीन से कराया गया। अंचल अमीन का सीमांकन प्रतिवेदन प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जो अभिलेख बद्ध है। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि श्री प्रशान्त जायसवाल वल्द स्व0 मदन मोहन जायसवाल के द्वारा मौजा–इसरी के खाता सं0–52 प्लॉट सं0–478 कैशरे हिन्द की भूमि पर बाउन्ड्री वॉल किया जा रहा है। अतः अंचल अमीन तथा प्रभारी अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मौजा–इसरी के खाता नं0–52 प्लॉट सं0–478 कैशरे हिन्द भूमि पर श्री प्रशान्त जायसवाल द्वारा किये जा रहे बाउन्ड्री वॉल को आज दिनांक–31.12.2022 को थाना प्रभारी, डुमरी की उपस्थिति में तोड दिया गया। एवं श्री प्रशान्त जायसवाल के द्वारा प्लॉट सं0–234 में भी बाउन्ड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है, जो गैरमजरूआ खाते की भूमि है। मेरे द्वारा भी स्थानिय जाँच किया गया जिसमें पाया की प्लॉट सं0–234 में इसरी पुरानी बस्ती जाने का P.C.C रोड बना हुआ है। परन्तु इस प्लॉट पर श्री प्रशान्त जायसवाल के द्वारा निंव की कटाई की गई है एवं इस प्लॉट के आंशिक हिस्से पर बजरंगबली का मन्दिर भी बना हुआ है। इस संबंध में स्थानिय व्यक्तियों द्वारा भी श्री प्रशान्त जायसवाल के द्वारा किये जा रहे बाउन्ड्री वॉल पर आपति जताया गया है। स्थानिय लोगो का कहना है कि कभी भी इस जमीन पर श्री प्रशान्त जायसवाल का दखल कब्जा नहीं रहा है तथा ग्रामीण जनता इस जमीन का प्रयोग रामनवमी के दिनों में अखाड़े के रूप में करते है और वहाँ बजरंगबली का झंडा भी गाडते है। उपरोक्त भूमि प्लॉट सं0–234 के संबंध में राजस्व उप निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें तथा श्री प्रशान्त जायसवाल वल्द स्व0 मदन मोहन जायसवाल, साकिन–डुमरी से इस संबंध में नोटिस कर कागजात की माँग करें। वाद दिनांक– 10-01-2023 को रखें। लेखापित एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी, डुमरी। (हस्ताक्षर) 31/12/22 अंचल अधिकारी, डुमरी।	

10.01.2023 अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक का जांच प्रतिवेदन अंचल
निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त एवं संलग्न। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि
मौजा उस्री खाता सं० 49 प्लॉट सं० 234 रकबा 16 डी० सर्वे खतियान
के अनुसार गैरमजरूआ खास (किस्म परती कदीम) खाते की भूमि है
एवं खाता सं० 52 प्लॉट सं० 478 रकबा 2.44 ए० सर्वे खतियान में
कैसरे हिन्द खाते की भूमि है जिसका किस्म खाना सड़क दर्ज है।
अंचल अमीन श्री रविन्द्र नाथ मंडल के साथ स्थल पर
पहुँचा। अमीन द्वारा उक्त प्लॉट में हो रहे निर्माण (बाउंड्रीवाल) की
मापी की गयी। मापी उपरांत पता चला कि श्री प्रशांत जायसवाल द्वारा
प्लॉट सं० 478 एवं 234 को मिलाकर बाउण्ड्रीवाल किया जा रहा था।
प्लॉट सं० 478 में लगभग 4 डी० भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है।
(अमीन मापी संलग्न)

प्लॉट सं० 234 से संबंधित कागजात आवेदक द्वारा
प्रस्तुत किया गया। राजस्व कागजातों से मिलान किया इनके द्वारा
सादा हुकुमनामा, फर्द अमीन रिपोर्ट एवं कुछ पुराने लगान रसीद प्रस्तुत
किया गया। ऑनलाइन पंजी एवं ऑफलाइन पंजी II से मिलान किया
पाया कि पंजी II के पृष्ठ सं० 35/2 पर बाबु मदन मोहन जायसवाल
के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं वर्ष 2022-23 तक लगान रसीद
निर्गत है। ज्ञात हो कि उक्त वर्णित प्लॉट से होकर उस्री बस्ती
एवं प्रोफेसर कॉलोनी का रास्ता है। वर्षों से इस रास्ते से लोग
आवागमन करते हैं। बाउंड्रीवाल देने के पश्चात ये रास्ता पुरी तरह
अवरूद्ध हो जायेगा। स्थल के ग्रामीणों द्वारा हो रहे निर्माण कार्य के
विरूद्ध आपत्ति प्रकट की गयी है।

स्वाती कुमारी द्वारा एक आपत्ति दर्ज की गयी है
कि प्लॉट सं० 234 से सटा हुआ पूरब की तरफ प्लॉट सं० 235 में
इनका मकान बना हुआ है। इनके पूर्वज द्वारा बने मकान के
प्रथम तल्ला में 3 फीट चौड़ा छज्जा निकाल दिया गया है। श्री प्रशांत
जायसवाल द्वारा प्लॉट सं० 235 से सटाकर बुनियाद दिया जा रहा है
जिसे लेकर स्वाति कुमारी ने आवेदन दिया है।
उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त प्लॉट
विवादित है, जिसे लेकर उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा आपत्ति दर्ज की
गयी है।

उभय पक्ष उपस्थित एवं हाजिरी दाखिल। स्वाति कुमारी पति
नितेश रोशन ने अपने आवेदन में दर्ज किया है कि श्री प्रशांत जायसवाल,
उदय जायसवाल एवं अन्य दो व्यक्तियों ने उनके साथ और उनके द्वारा
लगाये गये पल्लर के साथ बदतमीजी किया है और उनके द्वारा लगाये
गये पाईप को तोड़ दिया है। उनके बाउण्ड्री से सटाकर J.C.B से

खोदकर गड्ढा कर दिया गया है। वर्तमान में भी प्रशांत जायसवाल के द्वारा गड्ढा भर दिया गया है और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है

श्री प्रशांत जायसवाल के द्वारा बताया गया कि आवेदिका के ससुर श्याम सुन्दर वर्णवाल के साथ वर्ष 2003 में उनका समझौता हुआ। समझौता की प्रति उपलब्ध करा दी जायेगी। समझौते के तहत उन्होंने उनके ससुर को छज्जा निकालने से मना किया था जिसकी लिखित सहमति थी।

इस वाद में अंचल अमीन से सीमांकन कराया गया एवं हल्का कर्मचारी ने भी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया है। अंचल अमीन ने प्रतिवेदित किया है कि प्लॉट सं० 478 एवं 234 में प्रशांत जायसवाल के द्वारा लगभग 4 डी० जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसे मौके पर प्लॉट सं० 478 के हिस्से को तोड़ दिया गया है। अंचल अमीन ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि प्लॉट सं० 234 के कुछ हिस्से पर बजरंगबली मंदिर का निर्माण किया गया है तथा प्लॉट सं० 234 एवं 478 से होकर एक रास्ता स्वारी बस्ती की ओर जाता है। RS map में यह रास्ता पिंड के रूप में दर्ज है। इस संबंध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि विपक्षी प्रशांत जायसवाल ने सादा हुकुमनामा दिनांक 25.03.1944 बनाम जनाब मैनेजर साहब बहादुर रामगढ़ राजा पद्मा एवं फर्द रिपोर्ट अमीन जमीन्दारी लगान रसीद की प्रति संलग्न करते हैं। इनकी जमाबंदी पंजी II पृष्ठ सं० 35 भाग 02 में बाबु मदन मोहन जायसवाल के नाम से कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक भुगतान किया गया है। प्रशांत जायसवाल को आदेश दिया जाता है कि जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात से इनके पास जो भी लगान रसीद मौजूद है जो इनके जमाबंदी को प्रमाणित करता हो उसकी प्रति उपलब्ध करायें तथा समझौते की प्रति उपलब्ध करायें। अगली तारीख दिनांक 03.02.2023 को रखें।

(हस्ताक्षर) /1/23
अंचल अधिकारी
डुमरी

03.02.2023 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित एवं हाजिरी दाखिल। श्री प्रशांत जायसवाल द्वारा समझौतानामा की छायाप्रति दाखिल किया गया एवं लगान रसीद वर्ष 2006-07 एवं 2008-09 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया जो बाबु मदन मोहन जायसवाल के नाम से निर्गत है। स्वाती कुमारी द्वारा भी कागजात दाखिल किया गया जो अभिलेखबद्ध है। एवं एक online लगान रसीद भी प्रस्तुत किया गया जो श्याम सुन्दर वर्णवाल के नाम से दर्ज है। अभिलेख दिनांक 24.02.2023 को रखें।

(हस्ताक्षर) 3/02/23
अंचल अधिकारी
डुमरी

24.02.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित एवं हाजिरी दाखिल। अधोहस्ताक्षरी विधि कार्य से बाहर। अभिलेख दिनांक 06.04.2023 को रखें। 24/2/23 अंचल अधिकारी डुमरी
06.04.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित एवं हाजिरी दाखिल। अधोहस्ताक्षरी मिटिंग कार्य में व्यस्त। सुनवाई स्थगित। अभिलेख दिनांक 21.04.2023 को रखें। 6/4/23 अंचल अधिकारी डुमरी
21.04.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित एवं हाजिरी दाखिल। विपक्षी श्री प्रशांत जायसवाल के द्वारा पुराना लगान रसीद जमा नहीं किया गया जिसके कारण इनका हुकुमनामा का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। अगली तिथि को जो भी उनके द्वारा पुराना कागजात है जमा करें। आवेदिका स्वाती कुमारी पति नितेश सोगन के द्वारा दिये गये आवेदन पर संज्ञान लेते हुए द्वितीय पक्ष के द्वारा जो अवरुद्ध कार्य किया गया है था उसे भरवा दिया गया एवं रास्ते का आवागमन सामान्य हो गया। अतः प्रथम पक्ष को इस वाद की कारवाई से हटाया जाता है। यह वाद सरकार बनाम द्वितीय पक्ष चलता रहेगा। जब तक कि इनके कागजातों का सत्यापन नहीं कर लिया जाता। अभिलेख दिनांक 12.05.2023 को प्रस्तुत करें। 21/4/23 अंचल अधिकारी डुमरी
12.05.2023	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष श्री प्रशांत जायसवाल उपस्थित एवं हाजिरी दाखिल। अधोहस्ताक्षरी विधि कार्य के बाहर। अभिलेख दिनांक 07.06.2023 को रखें। 12/5/23 अंचल अधिकारी डुमरी

02.06.2023	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष श्री प्रशान्त जायसवाल द्वारा आवेदन समर्पित कर बताया गया कि आज दिनांक 02.06.2023 को समय पर उपस्थित होने हेतु असमर्थ हूँ। इसलिए मुझे अगली तारीख दिया जाय। आवेदन स्वीकृत। अभिलेख दिनांक 07.06.2023 को रखें। अंचल अधिकारी डुमरी
07.06.2023	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष श्री प्रशांत जायसवाल उपस्थित एवं हाजिरी दाखिल। अधोहस्ताक्षरी विधि कार्य से बाहर। बाद दिनांक 23.06.2023 को रखें। अंचल अधिकारी डुमरी
23.06.2023	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष श्री प्रशांत जायसवाल उपस्थित एवं हाजिरी दाखिल। अधोहस्ताक्षरी चुनाव कार्य में व्यस्त। सुनवाई स्थगित। अभिलेख दिनांक 24.07.2023 को रखें। अंचल अधिकारी डुमरी
24.07.2023	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष श्री प्रशांत जायसवाल उपस्थित। उनके द्वारा एक आवेदन समर्पित कर बताया गया कि मौजा डुमरी खाता सं० 234 प्लॉट सं० 49/179 रकबा 16 डी० जमीन जो हमारे पिताजी स्व. मदन मोहन जायसवाल के नाम से है। पुनः दिनांक 23.07.2023 को स्वाती कुमारी एवं उनके लोगो के द्वारा अपने मकान के पीछे आज के डेढ़ दिवाल में दिवार जोड़ने का कार्य किया जा रहा है जिसमें हमारे जमीन की ओर एक शटर देकर दरवाजा छोड़ रखी है जबकि दस्ता देने के समय यह समझौता भी हुआ था कि मेरे जमीन की तरफ किसी भी प्रकार का दिवार या खिड़की नहीं खोलेंगे। ज्ञातव्य हो कि उपरोक्त जमीन का मामला आपके न्यायालय में लंबित है एवं किसी भी प्रकार का कार्य करने से दोनों पक्षो को यथास्थिति बहाल रखने निर्देश भी दिया जा चुका है। इसके पूर्व भी हमारे जमीन की दिशा में स्वाती कुमारी द्वारा एक प्रोजेक्ट जबरन लगाया जा रहा था जिसकी सूचना भी दी गयी थी। इन्होंने जबरन दरवाजा खोलने को रोकने हेतु आग्रह किये है। अभिलेख दिनांक 19.08.2023 को रखें। अंचल अधिकारी डुमरी

18.09.2023 अभिलेख उपस्थापित। अंचलाधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक
को रखें।

[signature]
अंचल अधिकारी
डुमरी

26.09.2023 अभिलेख उपस्थापित। अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी के पत्रांक 1159 दिनांक 13.09.
2023 के आलोक में पुनः उक्त भूमि की मापी अंचल अमीन के द्वारा दिनांक 21.09.
2023 को की गयी जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विवादांकित
भूमि मौजा इसरी थाना सं० 130 के अन्तर्गत खाता सं० 28 प्लॉट सं० 235 एवं
खाता सं० 49 प्लॉट सं० 234 पर उपस्थित हुआ। स्थल पर आवेदिका स्वाती
कुमारी पति नितेश रौशन साकिन इसरी एवं दूसरा पक्ष श्री पुंजान जायसवाल
पिता स्व. मदन मोहन जायसवाल साकिन जामताड़ा दोनो उपस्थित हुए। श्रीमति
स्वाती कुमारी द्वारा बंटवारानामा की छायाप्रति दस्तावेज दिखाया गया जिसका
खाता सं० 28 प्लॉट सं० 253 रकबा 13 डी० हिस्सा रकबा 6½ डी० है। उक्त
भूमि की चौहद्दी उत्तर - मकान मिर्जा दास कुंज बिहारी प्रसाद, दक्षिण - जी० टी० रोड
खन्ता सड़क, पूरब - हिस्सा श्रीकांत जायसवाल, पश्चिम - परती कदीम। द्वितीय
पक्ष के द्वारा हुकुमनामा दस्तावेज की छायाप्रति दिखाया गया। R. No - 3156/44-
45 एवं Case no $\frac{256/5}{1944\text{-}45}$ मौजा इसरी खाता सं० 49 प्लॉट सं० 234 रकबा
16 डी० का ऑनलाईन रसीद भी दिखाया गया। उभय पक्षों में भूमि सिमाना को
लेकर विवाद हो रहा है क्योंकि दोनो प्लॉट आपस में सटे हुए है। अतः दोनो
पक्षों राजस्व उपनिरीक्षक संजीत कुशवाहा एवं दो निजी अमीनों की उपस्थिति में
प्लॉट के सीमाना को चिन्हित किया गया जिसमें पाया कि आवेदिका के मकान
प्लॉट सं० 235 पर है जो कि मकान का दिवार ही दोनो प्लॉट का सिमाना है
मकान वाले दिवार के पश्चिम में प्लॉट सं० 234 है जो कि गैरमजरूआ खास
जमीन है। एक बात यह भी है कि आवेदिका के बंटवारानामा दस्तावेज में
आवेदिका के बंटवारा वाले भूमि के पश्चिम में चौहद्दी परती कदीम लिखा हुआ है।
प्रतिवेदन के साथ दोनो पक्षों का दस्तावेज एवं आपसी समझौतानामा संलग्न।
अभिलेख दिनांक 07.11.2023 को रखें।

[signature] 26.09.23
अंचल अधिकारी
डुमरी

.11.2023 अभिलेख उपस्थापित। श्री प्रशान्त ~~क्र~~ जायसवाल पिता स्व. मदन मोहन जायसवाल साकिन जामताड़ा द्वारा समर्पित लगान रसीद का मिलान अंचल नाजीर द्वारा कार्यालय में संधारित भंडार पंजी से किया गया जिसमें पाया कि रसीद सं० 729533 वर्ष- व रसीद सं० 487000 वर्ष 1993-94 व रसीद सं० 565676 वर्ष 2008-09 व रसीद सं० 5824499 वर्ष 2011-12 भंडार पंजी में दर्ज पाया। साथ ही इनके द्वारा ब- हुक्म जनाब मैनेजर साहब बहादुर (हुकुमनामा), फरद रिपोर्ट अमीन, ऑफलाइन लगान रसीद, online लगान रसीद वर्ष 2023-24 तथा एक समझौता नामा भी समर्पित किया गया है।

स्वाती कुमारी पति नितेश रौशन साकिन इसरी बाजार द्वारा NON JUDICIAL STAMP DUTY में बँटवारानामा जिसमें फरीक नं० 1 श्री मिथिलेश कुमार एवं फरीक नं० II श्री नितेश रौशन दर्ज है जो खाता सं० 28 प्लॉट सं० 235 रकबा 6½ डि. से संबंधित है। साथ ही इनके द्वारा केवाला सं० 960 दिनांक 18.04.1969 जो खाता सं० 28।। प्लॉट सं० 235 से संबंधित है तथा एक online लगान रसीद भी प्रस्तुत किया गया।

अत: उक्त भूमि मौजा इसरी थाना सं० 130 के अन्तर्गत खाता सं० 49 प्लॉट सं० 224 रकबा 16 डि. भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है प्रथम पक्ष स्वाती कुमारी तथा द्वितीय पक्ष श्री प्रशान्त जायसवाल के बीच रास्ता को लेकर विवाद चल रहा है द्वितीय पक्ष के श्री प्रशान्त जायसवाल द्वारा प्रस्तुत कागजात (हुकुमनामा) के आधार पर अपना दावा करते हैं तथा ~~द्वितीय~~ प्रथम पक्ष स्वाती कुमारी का कहना है कि उक्त भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है तथा इसी भूमि से होकर इसरीबस्ती के ग्रामीण लोग आवागमन करते हैं एवं उक्त भूमि के बगल में बने बजरंगबली मंदिर का अखाड़ा भी लगाया जाता है।

अत: उक्त भूमि पर ~~इनका~~ द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अपना दावा करते हैं तथा प्रथम पक्ष द्वारा इसी भूमि पर रास्ता रहने को लेकर कहा जा रहा है। जिसके कारण उभय पक्षों में तनाव है। अत: उभय पक्षों के बीच भूमि को लेकर हो रहे विवाद का निपटारा हेतु सक्षम न्यायालय में (उभय पक्ष) जा सकते हैं। अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

07.11.23
अंचल अधिकारी
डुमरी

07.11.23
अंचल अधिकारी
डुमरी

सेवा में,

अंचल अधिकारी
डुमरी (गिरिडीह)

विषय:- मौजा-हरली, खाता सं.-49, प्लॉट सं.-234, रकबा-16 डी. में श्री प्रशांत जायसवाल द्वारा किए जा रहे भवन निर्माण के संबंध में जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

भवदीय के आदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंधित स्थल जाँच एवं राजस्व अभिलेखों की जाँच किया। जाँचोपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत भूमि खाता सं.-49, प्लॉट सं.-234 रकबा-16 डी. सर्वे खतियान के अनुसार गै. खाता (किस्म-परती कदीम) खाते की भूमि है एवं खाता सं.-52, प्लॉट सं.-478 रकबा-2.44 ए. सर्वे खतियान में कैसरे हिन्द खाते की भूमि है। जिसका किस्म जंगल झाड़ दर्ज है।

अंचल अमीन श्री रविन्द्रनाथ मंडल के साथ स्थल पर पहुँचा। अमीन द्वारा उक्त प्लॉट में हो रहे निर्माण (बाउंड्रीवाल) की मापी की गई। मापी उपरान्त पता चला कि श्री प्रशांत जायसवाल द्वारा प्लॉट सं.-478 एवं 234 को मिलाकर बाउंड्रीवाल किया जा रहा था। प्लॉट सं.-478 के लगभग 4 डी. भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अमीन मापी रिपोर्ट प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

प्लॉट सं.-234 से संबंधित कागजात आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया। राजस्व कागजातों से मिलान किया। इनके द्वारा सादा हुकुमनामा, फर्द अमीन रिपोर्ट एवं कुछ पुराने लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। ऑनलाइन पंजी एवं ऑफलाइन पंजी-II से मिलान किया पाया कि पंजी-II के पृष्ठ सं.-35/2 पर बाबू मदन मोहन जायसवाल के नाम से जमाबंदी दर्ज है, एवं वर्ष-2022-23 का लगान रसीद निर्गत है। ~~स्थल जाँच में ग्रामीणों से पूछताछ किया~~
~~चूंकि आवेदक की [illegible] उपस्थित नहीं हो पाये।~~

P. T. O

ज्ञात हो कि उक्त वर्णित प्लॉट को होकर इसरी बस्ती के
प्रोफेसर कॉलोनी का रास्ता ~~बना हुआ~~ है बच्चों के स्कूल जाने मे
को आवागमन करने में बाउंड्रीवाल देने के पश्चात ये रास्ता
पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगा। स्थल मे ग्रामीणो द्वारा हो रहे
निर्माण कार्य के विरुद्ध आपत्ति ~~प्रकट~~ की गई।

रवानि कुमारी द्वारा एक आपत्ति दर्ज की गई है कि
प्लॉट सं-234 से सटा हुआ पूरब की तरफ प्लॉट सं-235
में इनका मकान बना हुआ है। इनके पूर्वज द्वारा बने पुराने मकान के
प्रथम तल्ला मे 3 फीट चौड़ा छज्जा निकाला किया गया है और प्रशांत
जायसवाल द्वारा प्लॉट सं-235 को सटाकर बुनियाद किया जा
रहा है, जिसे लेकर रवानि कुमारी ने आवेदन किया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त प्लॉट
विवादित है। जिसे लेकर उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा आपत्ति
दर्ज की गई है। इसरी पंचायत उत्तरी एवं दक्षिणी के मुखिया एवं
आमजनों, रवानि कुमारी (पति - नितेश रोशन) एवं आवेदक
श्री प्रशांत जायसवाल (पिता स्व. बाबू मदन मोहन जायसवाल)
को अंचल कार्यालय से नोटिस निर्गत कर उक्त प्लॉट के
संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

अतः जाँच प्रतिवेदन भवदीय को अग्रेतर कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

विश्वासभाजन

Ranjit
31/12/22

9/1/23

U.O.S
10/1/23

सेवा में,

अंचल अधिकारी महोदय

डुमरी।

विषय :- मौजा - इसरी थाना नं. 130 के अंतर्गत खाता नं. 28 प्लॉट नं. 235 एवं खाता नं. 49 प्लॉट नं. 234 के मापी के संबंध में।

प्रसंग :- अनुमण्डल कार्यालय पत्रांक 1159 दिनांक 13/09/2023)

महाशय,

आज दिनांक 21/09/2023 को विषयांकित स्थल मौजा - इसरी थाना नं. 130 के अंतर्गत खाता नं. 28 प्लॉट नं. 235 एवं खाता नं. 49 प्लॉट नं. 234 पर उपस्थित हुआ स्थल पर आवेदिका श्रीमती स्वाति कुमारी पति नितेश रौशन साकिन इसरी एवं दूसरा पक्ष श्री प्रशांत जायसवाल पिता स्व. मदन मोहन जायसवाल साकिन जामताड़ा दोनो उपस्थित हुए। श्रीमती स्वाति कुमारी द्वारा बटवारा नामा छाया प्रति दस्तावेज दिखाया गया जिसका खाता नं. 28 प्लॉट नं. 253 रकबा 13 डी.

हिस्सा रकबा 6½ डी.।

चौहद्दी - उ. - रहमान मियां हाल कुंज बिहारी प्रसाद

द. - जी.टी. रोड रस्ता सड़क

पू. - हिस्सा श्रीकान्त बरनवाल

प. - परती कदीम

P.T.O

द्वितीय पक्ष के द्वारा हुकुमनामा दस्तावेज छायाप्रति
दिखाया गया | P. NO - 3156/44-45 एवं Case no -
256/5 / 1944-45 मौजा - इसरी खाता 49 प्लॉट नं. 234
भी दिखाया गया |
रकबा 16 डी. ऑनलाइन रसीद
भूमि सीमाना को लेकर
महाशय दोनों पक्षों मे आपस मे
विवाद हो रहा है क्योंकि दोनो प्लॉट
सटे हुए है| अतः दोनो पक्षों, राजस्व उपनिरीक्षक
रंजीत कुशवाहा एवं दो निजी अमीनों की उपस्थिति
मे प्लॉट के सीमाना को चिन्हित किया गया|
जिसमे पाया की आवेदिका के मकान प्लॉट नं.
235 पर है जो की मकान का दिवार ही
दोनो प्लॉट का सीमाना है| मकान वाले दीवार
के पश्चिम मे प्लॉट नं. 234 है जो की
गैरमजरूआ खास जमीन है| एक बात यह भी
की आवेदिका के बटवारा नामा दस्तावेज मे
आवेदिका के बटवारे वाले भूमि के पश्चिम मे
चौहद्दी परती जमीन लिखा हुआ है|
प्रतिवेदन के साथ दोनो पक्षों का दस्तावेज एवं
आपसी समझौता नामा संलग्न |

अतः श्रीमान को अग्रेतर कार्यवाही
हेतु समर्पित

Ravindra nath Mandal
03/03/2020
अंचल अमीन

Digitally signed by Shashi Bhushan Verma
Date: 2024.06.21 13:29:49 +05:30
Location: 192.168.122.188